मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

वर्किंग प्रोफेशनल्स (working Professionals) **के लिये**

डिप्लोमा पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष (तृतीय सेमेस्टर) में प्रवेश हेतु प्रवेश नियम

सत्र 2024–25

मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी पोलीटेकनिक महाविद्यालयों, शासकीय एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालयों तथा स्वशासी एवं शासकीय महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालयो में तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष (तृतीय सेमेस्टर) में वर्किंग प्रोफेशनल्स (working Professionals)के लिये प्रवेश हेतु

1	**शासकीय (Government) क्षेत्र के अंतर्गत**	पृष्ठ 2–7
	मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी पोलीटेकनिक महाविद्यालयों, शासकीय एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालयों तथा स्वशासी एवं शासकीय महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालयो में तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष (तृतीय सेमेस्टर) में प्रवेश हेतु	
2	**निजी (Private) क्षेत्र के अंतर्गत**	पृष्ठ 8–13
3	तालिका–1	पृष्ठ 14–16
4	**विभिन्न प्रारूप**	पृष्ठ 17–23

संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल

वर्किंग प्रोफेशनल्स (working Professionals)के लिये डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु

मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी पोलीटेकनिक महाविद्यालयों, शासकीय एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालयों तथा स्वशासी एवं शासकीय महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालयों के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में के द्वितीय वर्ष (तृतीय सेमेस्टर) में प्रवेश के नियम

1 **सामान्यः**

ये नियम मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी पोलीटेकनिक महाविद्यालयों तथा शासकीय एवं अनुदान प्राप्त पोलीटेकनिक महाविद्यालयों तथा स्वशासी एवं शासकीय महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में वर्किंग प्रोफेशनल्स (working Professionals) के लिये पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के द्वितीय वर्ष (तृतीय सेमेस्टर) में प्रवेश हेतु प्रवेश नियम कहलायेंगे एवं ''प्रवेश नियम–2008'' अनुसार प्रभावी होंगे।

1.2 **परिभाषाएंः–**इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो।

1. श्रेणीः का तात्पर्य है इन चार श्रेणी में से एक उदा. अनारक्षित (UR)अनुसूचित जाति (SC)अनुसूचित जनजाति (ST) अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) (OBC)
2. सक्षम प्राधिकारी (स.प्रा.) का तात्पर्य है जिसको मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा सक्षम प्राधिकारी घोषित किया गया है.
3. प्राचार्यः का तात्पर्य है संस्था प्रमुख.
4. मध्यप्रदेश (म.प्र.) का तात्पर्य है म.प्र. राज्य जो 01.11.2000 को अस्तित्व में आया.
5. अ.भा.त.शि.प. : का तात्पर्य है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् नई दिल्ली.
6. ''व्यावसायिक संस्थान'' से अभिप्रेत है ऐसी संस्थायें जो इंजीनियरिंग, टेक्नालॉजी, फार्मेसी तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को संधारित करती है;
7. संचालक का तात्पर्य है संचालक तकनीकी शिक्षा मध्यप्रदेश, भोपाल.
8. कुलपति का तात्पर्य है कुलपति राजीव गांधी प्रोद्यौगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल.
9. ''OP'' सीटों से अभिप्रेत है महिला या पुरूष अभ्यर्थी.
10. ''F" सीटों से अभिप्रेत है महिला अभ्यर्थी.
11. ''म.प्र सीट'' से अभिप्रेत है कि मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के आरक्षित सीटें

1.3 ये नियम मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी पोलीटेकनिक महाविद्यालयों तथा शासकीय एवं अनुदान प्राप्त पोलीटेकनिक महाविद्यालयों तथा स्वशासी एवं शासकीय महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिये

पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के द्वितीय वर्ष (तृतीय सेमेस्टर) में प्रवेश हेतु प्रवेश नियम कहलायेंगे।

1.4 प्रवेश नियमः

1.4.1 उपलब्ध सीटें:

प्रवेश सत्र के लिये ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा जारी अनुमोदन अनुसार, योजनान्तर्गत द्वितीय वर्ष (तृतीय सेमेस्टर) में प्रवेश हेतु उपलब्ध रहेंगे, ये सीटें केवल मध्यप्रदेश के मूलनिवासी अभ्यर्थियों के लिये उपलब्ध होंगी।

1.4.2 सीटों का आरक्षण:

शासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालयों, मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा स्वशासी घोषित तथा अनुदान प्राप्त अशासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालयों तथा स्वशासी एवं शासकीय महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु उपलब्ध कुल सीटों में मध्यप्रदेश की अनुसूचित जाति (SC) अनु.जनजाति (ST) तथा अन्य पिछड़ी जाति (OBC) श्रेणी (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के अभ्यर्थियों के लिए शासन के नियमानुसार क्रमशः 16, 20 तथा 14 प्रतिशत सीटों का आरक्षण रहेगा।

टीपः—

(अ) विभिन्न आरक्षित श्रेणियों में से अभ्यर्थी केवल एक ही श्रेणी में आरक्षण का दावा कर सकता है।

(ब) जिस श्रेणी में प्रवेश हेतु दावा किया जा रहा हो अभ्यर्थी को उससे संबंधित प्रमाण—पत्र मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

1.4.2.1 मध्यप्रदेश की अनुसूचित जाति (SC)तथा अनुसूचित जनजाति (ST)श्रेणी

ऐसा अभ्यर्थी जो म0प्र0 की अनुसूचित जाति (SC) अथवा अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी में होने संबंधी पात्रता का दावा करता है उसे इस नियम पुस्तिका में दिए गए निर्धारित **प्रारूप—1** में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा ।

(म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) का आदेश क्रमांक एफ—7/2/96/अ.प्र./एक दिनांक 1 अगस्त 1996 देखें।)

1.4.2.2 अन्य पिछड़ी जाति (OBC) श्रेणी (क्रीमीलेयर को छोड़कर) :—

ऐसा अभ्यर्थी जो मध्यप्रदेश की अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी में होने संबंधी दावा करता है उसे इस नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित **प्रारूप—2** में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण—प्रत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण—पत्र **30 अप्रैल 2021** के पूर्व जारी किया गया हो तो अभ्यर्थी को परिवार की कुल वार्षिक आय का नवीनतम आय प्रमाण—पत्र जो कि सक्षम

प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो अथवा आय प्रमाण पत्र संबंधी मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक सी–3–7–2013–3–एक, दिनांक 25/09/2014 को जारी निर्देशानुसार आय बाबत् स्व प्रमाणित घोषणा–पत्र **(प्रारुप–4)**परामर्श के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। (म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) का आदेश क्रमांक एफ–7–2/96/अ.प्र/एक दिनांक 12 मार्च 1997 देखें एवं आदेश क्रमांकएच–7–16–2000/आ.प्र./एक, भोपाल दिनांक 06/07/2000)।

1.4.2.3 महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षणः

स्वशासी एवं शासकीय महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में समस्त सीटें महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रहेगी परन्तु सह शिक्षा पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में महिला अभ्यर्थियों हेतु प्रत्येक श्रेणी एंव वर्ग के अंतर्गत 30 प्रतिशत सीटों का ''कम्पार्टमेंटलाइज्ड'' क्षैतिज आरक्षण उपलब्ध होगा।

किसी भी श्रेणी के अंतर्गत किसी वर्ग में महिला अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर उस वर्ग की पात्रता के पुरूष अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जावेगा, किन्तु महिलाओं के लिये आरक्षित स्थान अन्य श्रेणी/वर्ग में समायोजित नहीं किये जावेगें।

1.5 प्रवेश हेतु पात्रताः

1.5.1 प्रवेश के लिये पात्रता एआईसीटीई तथा राज्य शासन द्वारा निर्धारित अर्हता अनुसार होगी ।

1.5.2 अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो।

1.5.3 वर्किंग प्रोफेशनल को डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के द्वितीय वर्ष (तृतीय सेमेस्टर) में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को **10+2** की 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण होने के साथ–साथ दो वर्ष अथवा उससे अधिक वर्ष का पाठ्यक्रम औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से किसी भी ट्रेड में उत्तीर्ण होना आवश्यक है।''

अथवा

माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से **10+2** प्रणाली की बारहवीं परीक्षा, तालिका–1 में दर्शाये अनुसार सम्मिलित रूप से उत्तीर्ण करना होगी।

1.5.4 अभ्यर्थी को किसी पंजीकृत उद्योग/संगठन (केन्द्रीय/राज्य)/निजी/पब्लिक लिमिटेड कंपनी/एम.एस.एम.ई. में कार्यरत वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिये जो शैक्षणिक संस्थान से 50 किलोमीटर के दायरे में हों साथ ही न्यूनतम एक वर्ष का पूर्णकालिक/नियमित कार्य का अनुभव हो।

1.5.5 वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकताएंः

शासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालयों तथा मध्यप्रदेश शासन द्वारा घोषित स्वशासी पोलीटेकनिक महाविद्यालयों/अनुदान प्राप्त अशासकीय

पोलीटेकनिक महाविद्यालयों तथा स्वशासी एवं शासकीय महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालयों की सभी सीटों में प्रवेश हेतु चयन के लिये केवल ऐसे अभ्यर्थी को पात्रता होगीः

1 जो भारत का नागरिक हो।

2 मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक सी–3–7–2013–3–एक दिनांक 29 जून, 2013 के अनुसार शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले के लिये सक्षम प्राधिकारी (नायब तहसीलदार/तहसीलदार) द्वारा जारी स्थानीय प्रमाण–पत्र प्रारूप–3 अनुसार प्रस्तुत करना आवश्यक है।

1.6 प्रवेश की रीति :

अर्हकारी परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत के अनुसार तैयार की गई योग्यता क्रम (मेरिट सूची) के आधार पर किये जावेंगे तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा आयोजित परामर्श (Counselling)के माध्यम से किये जावेंगे।

टिप्पणीः–

1. अर्हकारी परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने पर अधिक उम्र वाले को मेरिट निर्धारित करने में वरीयता दी जाएगी। तत्पश्चात आयु में भी समानता होने पर उम्मीदवार के नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर योग्यता सूची में रखा जावेगा।
2. ऐसे उम्मीदवार भी प्रवेश के लिये पात्र होगें जिन्होनें अर्हकारी परीक्षा कृपांक (ग्रेस) के साथ उत्तीर्ण की होगी किन्तु उपरोक्तानुसार न्यूनतम प्रतिशत का बंधन लागू होगा जिसमें ग्रेस अंक नहीं जोड़े जायेंगे।
3. ऐसे समस्त उम्मीदवार जो अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची ग्रेडिंग सिस्टम पर आधारित है, अंकसूची में दिए परिवर्तन सूत्र अनुसार ग्रेड को अंकों में परिवर्तित कर प्रस्तुत करना होगा।

1.7 प्रवेश की प्रक्रियाः

<u>ऑन लाईन ऑफ कैम्पस काउंसलिंग प्रवेश प्रक्रिया (Online Offcampus Admission Procedure):</u>

राज्य सरकार द्वारा किसी विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिए आन लाईन ऑफ कैम्पस काउंसलिंग (परामर्श) संचालित करने का विनिश्चय किए जाने की दशा में राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए घोषित सक्षम प्राधिकारी, विस्तृत कार्यक्रम को अंतिम रूप देगा और प्रवेश की प्रक्रिया तथा विभिन्न अंतिम तिथियां (कट ऑफ डेट्स) घोषित करते हुए वेबसाइट पर उपलब्ध कराएगा। ऑनलाइन ऑफ कैम्पस काउंसिलिंग की प्रवेश प्रक्रिया मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित प्रवेश नियम 2008 (यथा संशोधित) के अनुसार रहेगी।

1.8 सामान्य जानकारियांः

1.8.1 समस्त प्रवेश मेरिट सूची से काउंसलिंग के माध्यम से किये जावेंगे। संचालनालय तकनीकी शिक्षा, भोपाल द्वारा प्रवेश की प्रक्रिया तथा विभिन्न अंतिम तिथियां (कट ऑफ डेट्स) घोषित कर संचालनालय की काउंसिलिंग से संबंधित वेबसाइट (**dtempcounselling.org** या **dte.mponline.gov.in**) पर

उपलब्ध कराएगा। अभ्यर्थियों को अलग से प्रवेश–पत्र नहीं भेजे जावेंगे।

1.8.2 **मूल प्रमाण–पत्रः** काउंसिलिंग प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को अपने मूल प्रमाण–पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करने होंगे। तत्पश्चात् उम्मीदवारों को उनके मूल प्रमाण–पत्र वापिस कर दिये जायेगें। उम्मीदवारों को मूल प्रमाण–पत्र प्रवेशित संस्था में जमा नहीं कराना है।

1.8.3 संस्थाओं के अंतरण हेतु अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

1.8.4 सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्रवेशित संस्था में मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा निर्धारित नियमों के अधीन फीस की राशि देय होगी,

1.8.5 **गंभीर बीमारीः** यदि कोई अभ्यर्थी गंभीर बीमारी या दुर्घटना के कारण अस्पताल में भर्ती होने से परामर्श की नियत तिथि पर उपस्थित रहने में असमर्थ है तथा यदि वह इस आशय का चिकित्सा प्रमाण–पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन से प्राप्त कर प्रस्तुत करते हैं, तब उनके पिता/अभिभावक जिन्हें अभ्यर्थी द्वारा अधिकृत किया है, उसके स्थान पर कांउसिलिंग में सम्मिलित हो सकेंगे।

1.9 प्रवेश का क्रमः

1.9.1 *मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिये उपलब्ध सीटों* के पहले दौर की परामर्श (काउंसिलिंग) में, यदि आरक्षित श्रेणी का कोई अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी की मेरिट सूची में स्थान प्राप्त करता है, तो उसे सर्वप्रथम अनारक्षित श्रेणी में सीट आबंटित की जाएगी. यदि अनारक्षित श्रेणी में उसे उसकी प्राथमिकता के अनुसार सीट नहीं प्राप्त होती है, तो उसे उसकी पात्रतानुसार आरक्षित श्रेणी में सीट आबंटित की जाएगी।

ऐसे आबंटन के पश्चात्, रिक्त आरक्षित सीटें पारस्परिक रूप से निम्न क्रम में परिवर्तित एवं आबंटित की जाएंगी अर्थात् अनुसूचित जनजाति से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति से अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति से अन्य पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग से अनुसूचित जनजाति।

1.9.2 आरक्षित प्रवर्गों के लिए परामर्श (काउंसलिंग) संचालित करने तथा आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को सीटों का आबंटन करने के पश्चात्, रिक्त सीटें, यदि कोई हों, अनारक्षित सीटों में संविलीन की जाएंगी और उसके पश्चात् अनारक्षित सीटों पर पुनः आबंटन किया जाएगा।

1.9.3 यदि अर्हकारी परीक्षा के मेरिट अंको के आधार पर तैयार की गई मेरिट सूची से पहले दौर की परामर्श (काउंसलिंग) के पश्चात् स्थान रिक्त रहते हैं तो विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिये रिक्त स्थानों की संख्या एवं प्रवेश के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों की अनुमानित संख्या को ध्यान में रखते हुए द्वितीय दौर की परामर्श (काउंसलिंग) आयोजित कराये जाने का निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया जा सकेगा।

परामर्श (काउंसलिंग) के उपर्युक्त दौर के पश्चात् यदि स्थान रिक्त रहते हैं तो ऐसे स्थान, प्रवेश नियम 2008 (यथासंशोधित) तथा/अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित प्रक्रिया के अनुसार, काउंसलिंग सम्पादित की जावेगी।

1.10 प्रवेश का रद्द किया जानाः

1 यदि किसी प्रक्रम पर यह पाया जाए कि अभ्यर्थी ने किसी संस्था में, मिथ्या या गलत जानकारी के आधार पर या सुसंगत तथ्यों को छिपाकर प्रवेश प्राप्त किया है या यदि प्रवेश के पश्चात् किसी भी समय यह पाया जाए कि अभ्यर्थी को किसी भूल या अनदेखी के कारण प्रवेश दिया गया था, तो ऐसे अभ्यर्थी को दिया गया प्रवेश उसके अध्ययन के दौरान किसी भी समय किसी पूर्व सूचना के बिना संस्था के प्राचार्य या सक्षम प्राधिकारी व्दारा तत्काल रद्द किए जाने के दायित्वाधीन होगा।

2 माननीय उचचतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के परिपालन में प्रवेश की अंतिम तिथि 14 अगस्त निर्धारित की गई है तथापि एआईसीटीई द्वारा शैक्षणिक सत्र 2024–25 के लिये जारी शैक्षणिक कैलेन्डर प्रभावशाली रहेगा।

3 **रद्दकरण के पश्चात स्थानों की स्थितिः–** प्रवेश के रद्दकरण के कारण या निर्धारित तारीख के भीतर (जैसा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित किया जाए) अभ्यर्थी द्वारा रिपोर्ट न करने के कारण उद्भूत होने वाले रिक्त स्थान, विद्यमान चरण की अपग्रेड प्रक्रिया में शामिल किया जायेगा (यदि लागू हो तो) या अगले चरण की काउंसिलिंग (यदि संचालित की जाती है) में आवंटन के लिये उपलब्ध कराया जाएगा।

4 प्रवेश की अंतिम तिथि के पश्चात् प्रवेश रद्द करने संबंधी कार्यवाही केवल प्रवेशित संस्था द्वारा ही की जावेगी।

1.11 **शिक्षण तथा अन्य फीस**ः– राज्य शासन द्वारा प्रचलित शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क प्रवेशित संस्था में जमा करने होगें।

1.12 अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु चयन संबंधी नीतियों के प्रश्नों पर तथा प्रवेश नियमों के अर्थ लगाने (Interpretation) संबंधी कोई प्रश्न उपस्थित होने पर निर्णय लेने में राज्य शासन अंतिम प्राधिकारी रहेगा तथा यह निर्णय अंतिम एंव बंधनकारी होगा।

1.13 मध्यप्रदेश राज्य शासन प्रवेश के किसी भी नियम/प्रक्रिया में किसी भी समय जनहित में आवश्यकतानुसार संशोधन करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है तथा इस तरह किया गया कोई भी संशोधन बंधनकारी होगा।

1.14 डिप्लोमा पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष (तृतीय सेमेस्टर) में प्रवेशित विद्यार्थियों को द्वितीय वर्ष (तृतीय सेमेस्टर एवं चतुर्थ सेमेस्टर) के विषयों के साथ–साथ रेमेडियल विषयों का अध्ययन भी करना होगा जोकि संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किया जावेगा।

1.15 **क्षेत्राधिकार**ः–किसी विधि संबंधी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय तक ही सीमित रहेगा।

1.16 **पाठ्यक्रम संचालित करने के लिये शर्त**ः– पाठ्यक्रम संचालित करने के लिय संकाय विशेष में स्वीकृत प्रवेश क्षमता का 1/3 प्रवेश होना अनिवार्य है, इसके अभाव में पाठ्यक्रम संचालित नहीं किया जा सकेगा।

प्रवेश नियम की प्रति वेबसाईट http//dte.mponline.gov.in पर उपलब्ध रहेगी।

वर्किंग प्रोफेशनल्स (working Professionals)के लिये

डिप्लोमा पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष (तृतीय सेमेस्टर) में प्रवेश हेतु प्रवेश नियम

मध्यप्रदेश में स्थित निजी पोलीटेकनिक महाविद्यालयो में तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष (तृतीय सेमेस्टर) में वर्किंग प्रोफेशनल्स (working Professionals) के लिये प्रवेश हेतु

2.1 सामान्यः

ये नियम मध्यप्रदेश में निजी क्षेत्र के पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में वर्किंग प्रोफेशनल्स (working Professionals) के लिये पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के द्वितीय वर्ष (तृतीय सेमेस्टर) में एवं ''प्रवेश नियम–2008'' अनुसार प्रभावी होंगे ।

2.2 परिभाषाएंः– इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो

1. श्रेणीः का तात्पर्य है इन चार श्रेणी में से एक उदा. अनारक्षित (UR) अनुसूचित जाति (SC) अनुसूचित जनजाति (ST) अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) (OBC)
2. सक्षम प्राधिकारी (स.प्रा.) का तात्पर्य है जिसको मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा सक्षम प्राधिकारी घोषित किया गया है.
3. प्राचार्यः का तात्पर्य है संस्था प्रमुख.
4. मध्यप्रदेश (म.प्र.) का तात्पर्य है म.प्र. राज्य जो 01.11.2000 को अस्तित्व में आया.
5. अ.भा.त.शि.प. : का तात्पर्य है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् नई दिल्ली.
6. ''व्यावसायिक संस्थान'' से अभिप्रेत है ऐसी संस्थायें जो इंजीनियरिंग, टेक्नालॉजी, फार्मेसी तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को संधारित करती है;
7. संचालक का तात्पर्य है संचालक तकनीकी शिक्षा मध्यप्रदेश, भोपाल.
8. कुलपति का तात्पर्य है कुलपति राजीव गांधी प्रोद्यौगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल.
9. **''प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति''** से अभिप्रेत है, व्यावसायिक शिक्षण संस्था में प्रवेश प्रक्रिया के पर्यवेक्षण तथा मार्गदर्शन के लिए तथा प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों से प्रभारित की जाने वाली फीस के निर्धारण के लिए इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार व्दारा गठित समिति
10. ''पाठयक्रम'' से अभिप्रेत हैं कोई पाठयक्रम जिसकी नाम पद्वति समुचित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की जा चुकी हैं तथा जिसके लिये किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड या संस्था द्वारा अलग से डिग्री/डिप्लोमा प्रदान किया जाता हैं (जैसे बी.ई इलेक्ट्रिकल, बी.ई. मैकेनिकल, एमसीए, एमबीए, डी. फार्मा, एमबीबीएस, बीडीएस आदि)
11. ''**फीस**'' से अभिप्रेत है, शिक्षण फीस सहित समस्त फीस तथा विकास प्रभार
12. ''**सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था**'' से अभिप्रेत है, कोई व्यावसायिक शिक्षण संस्था, जो किसी राज्य या केन्द्रीय सरकार से आवर्ती वित्तीय सहायता या सहायता अनुदान प्राप्त नहीं कर रही हो तथा जो केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या किसी सार्वजनिक निकाय व्दारा स्थापित या पोषित

नहीं है;

13 ''**अर्हकारी परीक्षा**'' से अभिप्रेत है, उस न्यूनतम अर्हता की परीक्षा जिसको उत्तीर्ण करने पर कोई अभ्यर्थी इन नियमों में यथाविहित सुसंगत व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश चाहने हेतु हकदार होता है

14 **''एकल खिड़की प्रणाली**'' से अभिप्रेत है, ऐसी प्रणाली, जिसके व्दारा सभी संस्थाओं में उपलब्ध स्थान, सामान्य केन्द्रीकृत परामर्श (काउन्सलिंग) या विकेन्द्रीकृत ऑनलाईन परामर्श (काउन्सलिंग) के माध्यम से सामान्य प्रवेश परीक्षा के गुणागुण के क्रम में अर्ह अभ्यर्थियों को प्रस्थापित किए जाते हैं

15 उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का, जो इन नियमों में प्रयुक्त की गई हैं, किन्तु परिभाषित नहीं की गई हैं, वही अर्थ होगा जो अधिनियम में उनके लिए दिया गया है।

2.3 ये नियम मध्यप्रदेश में निजी क्षेत्र के पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के तृतीय सेमेस्टर/द्वितीय वर्ष में प्रवेश के नियम कहलायेंगे।

2.4 प्रवेश नियमः

2.4.1 उपलब्ध सीटें:

प्रवेश सत्र के लिये ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा जारी अनुमोदन अनुसार, योजनान्तर्गत द्वितीय वर्ष (तृतीय सेमेस्टर) में प्रवेश हेतु उपलब्ध रहेंगे।

2.4.2 सीटों का आरक्षण :

मध्यप्रदेश में निजी क्षेत्र के पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु उपलब्ध कुल सीटों में मध्यप्रदेश की अनुसूचित जाति (SC) अनुसूचित जनजाति (ST) तथा अन्य पिछड़ी जाति (OBC) श्रेणी (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के अभ्यर्थियों के लिए शासन के नियमानुसार क्रमशः 16, 20 तथा 14 प्रतिशत सीटों का आरक्षण रहेगा।

टीपः—

(अ) विभिन्न आरक्षित श्रेणियों में से अभ्यर्थी केवल एक ही श्रेणी में आरक्षण का दावा कर सकता है।

(ब) जिस श्रेणी में प्रवेश हेतु दावा किया जा रहा हो अभ्यर्थी को उससे संबंधित प्रमाण—पत्र मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

2.4.2.1 मध्यप्रदेश की अनुसूचित जाति (SC) तथा अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी

ऐसा अभ्यर्थी जो म0प्र0 की अनुसूचित जाति (SC) अथवा अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी में होने संबंधी पात्रता का दावा करता है उसे इस नियम पुस्तिका में दिए गए निर्धारित **प्रारूप—1** में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) का आदेश क्रमांक एफ—7/2/96/अ.प्र./एक दिनांक 1 अगस्त 1996 देखें।)

2.4.2.2 अन्य पिछड़ी जाति (OBC) श्रेणी (क्रीमीलेयर को छोड़कर):—

ऐसा अभ्यर्थी जो मध्यप्रदेश की अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को

छोड़कर) श्रेणी में होने संबंधी दावा करता है उसे इस नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित **प्रारूप–2** में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण–प्रत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण–पत्र **30 अप्रैल 2021** के पूर्व जारी किया गया हो तो अभ्यर्थी को परिवार की कुल वार्षिक आय का नवीनतम आय प्रमाण–पत्र जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो अथवा आय प्रमाण पत्र संबंधी मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक सी–3–7–2013–3–एक, दिनांक 25/09/2014 को जारी निर्देशानुसार आय बाबत् स्व प्रमाणित घोषणा–पत्र **(प्रारुप–4)**परामर्श के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। (म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) का आदेश क्रमांक एफ–7–2/96/अ.प्र/एक दिनांक 12 मार्च 1997 देखें एवं आदेश क्रमांकएच–7–16–2000/आ.प्र./एक, भोपाल दिनांक 06/07/2000)।

2.5 प्रवेश हेतु पात्रताः

2.5.1 प्रवेश के लिये पात्रता एआईसीटीई तथा राज्य शासन द्वारा निर्धारित अर्हता अनुसार होगी।

2.5.2 अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो।

2.5.3 वर्किंग प्रोफेशनल को डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के द्वितीय वर्ष (तृतीय सेमेस्टर) में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को **10+2** की 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण होने के साथ–साथ दो वर्ष अथवा उससे अधिक वर्ष का पाठ्यक्रम औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से किसी भी ट्रेड में उत्तीर्ण होना आवश्यक है।''

अथवा

माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से **10+2** प्रणाली की बारहवीं परीक्षा, तालिका–1 में दर्शाये अनुसार सम्मिलित रूप से उत्तीर्ण करना होगी।

2.5.4 अभ्यर्थी को किसी पंजीकृत उद्योग/संगठन (केन्द्रीय/राज्य)/निजी/पब्लिक लिमिटेड कंपनी/एम.एस.एम.ई. में कार्यरत वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिये जो शैक्षणिक संस्थान से 50 किलोमीटर के दायरे में हों साथ ही न्यूनतम एक वर्ष का पूर्णकालिक/नियमित कार्य का अनुभव हो।

2.5.5 **वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकताएंः**– मध्यप्रदेश राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर को छोड़कर) श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए यह आवश्यक होगा कि वह :–

1 **भारत का नागरिक हो।**

2 मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक सी–3–7–2013–3–एक दिनांक 29 जून, 2013 के अनुसार शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले के लिये सक्षम प्राधिकारी (नायब

तहसीलदार/तहसीलदार) द्वारा जारी स्थानीय प्रमाण–पत्र प्रारूप–3 अनुसार प्रस्तुत करना आवश्यक है।

2.6 प्रवेश की रीतिः

अर्हकारी परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत के अनुसार तैयार की गई योग्यता क्रम (मेरिट सूची) के आधार पर किये जावेंगे तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा आयोजित परामर्श (Counselling)के माध्यम से किये जावेंगे।

टिप्पणीः– अर्हकारी परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने पर अधिक उम्र वाले को मेरिट निर्धारित करने में वरीयता दी जाएगी। तत्पश्चात आयु में भी समानता होने पर उम्मीदवार के नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर योग्यता सूची में रखा जावेगा।

2.7 प्रवेश की प्रक्रियाः

ऑन लाईन ऑफ कैम्पस काउंसलिंग प्रवेश प्रक्रिया (Online Offcampus Admission Procedure):

राज्य सरकार द्वारा किसी विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिए आन लाईन ऑफ कैम्पस काउंसलिंग (परामर्श) संचालित करने का विनिश्चय किए जाने की दशा में राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए घोषित सक्षम प्राधिकारी, विस्तृत कार्यक्रम को अंतिम रूप देगा और प्रवेश की प्रक्रिया तथा विभिन्न अंतिम तिथियां (कट ऑफ डेट्स) घोषित करते हुए वेबसाइट पर उपलब्ध कराएगा। ऑनलाइन ऑफ कैम्पस काउंसिलिंग की प्रवेश प्रक्रिया मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित प्रवेश नियम 2008 (यथा संशोधित) के अनुसार रहेगी।

2.8 सामान्य जानकारियांः

2.8.1 समस्त प्रवेश मेरिट सूची से काउंसलिंग के माध्यम से किये जावेंगे। संचालनालय तकनीकी शिक्षा, भोपाल द्वारा प्रवेश की प्रक्रिया तथा विभिन्न अंतिम तिथियां (कट ऑफ डेट्स) घोषित कर संचालनालय की काउंसिलिंग से संबंधित वेबसाइट **dte.mponline.gov.in** पर उपलब्ध कराएगा। अभ्यर्थियों को अलग से प्रवेश–पत्र नहीं भेजे जावेंगे।

2.8.2 **मूल प्रमाण–पत्रः–** काउंसिलिंग प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को अपने मूल प्रमाण–पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करने होंगे। तत्पश्चात् उम्मीदवारों को उनके मूल प्रमाण–पत्र वापिस कर दिये जायेगें। उम्मीदवारों को मूल प्रमाण–पत्र प्रवेशित संस्था में जमा नहीं कराना है।

2.8.3 प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में संस्थाओं के अंतरण हेतु अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

2.8.4 सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेशित संस्था में प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति द्वारा निर्धारित नियमों के अधीन फीस की राशि देय होगी,

2.8.5 **गंभीर बीमारी**: यदि कोई अभ्यर्थी गंभीर बीमारी या दुर्घटना के कारण अस्पताल में भर्ती होने से परामर्श की नियत तिथि पर उपस्थित रहने में असमर्थ है तथा यदि वह इस आशय का चिकित्सा प्रमाण–पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन से प्राप्त कर प्रस्तुत करते हैं, तब उनके पिता/अभिभावक जिन्हें अभ्यर्थी द्वारा अधिकृत किया है, उसके स्थान पर कांउसिलिंग में सम्मिलित हो सकेंगे।

2.9 प्रवेश का क्रमः–

2.9.1 *सामान्य पूल के परामर्श* (काउंसलिंग) में, यदि आरक्षित श्रेणी का कोई अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी की मेरिट सूची में स्थान प्राप्त करता है, तो उसे सर्वप्रथम अनारक्षित श्रेणी में सीट आबंटित की जाएगी, यदि अनारक्षित श्रेणी में उसे उसकी प्राथमिकता के अनुसार सीट नहीं प्राप्त होती है, तो उसे उसकी पात्रतानुसार आरक्षित श्रेणी में सीट आबंटित की जाएगी।

ऐसे आबंटन के पश्चात्, रिक्त आरक्षित सीटें पारस्परिक रूप से निम्न क्रम में परिवर्तित एवं आबंटित की जाएंगी अर्थात् अनुसूचित जनजाति से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति से अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति से अन्य पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग से अनुसूचित जनजाति।

2.9.2 आरक्षित प्रवर्गों के लिए परामर्श (काउंसलिंग) संचालित करने तथा आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को सीटों का आबंटन करने के पश्चात्, रिक्त सीटें, यदि कोई हों, अनारक्षित सीटों में संविलीन की जाएंगी और उसके पश्चात् अनारक्षित सीटों पर पुनः आबंटन किया जाएगा।

2.9.3 यदि अर्हकारी परीक्षा के मेरिट अंको के आधार पर तैयार की गई मेरिट सूची से पहले दौर की परामर्श (काउंसलिंग) के पश्चात् स्थान रिक्त रहते हैं तो विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिये रिक्त स्थानों की संख्या एवं प्रवेश के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों की अनुमानित संख्या को ध्यान में रखते हुए द्वितीय दौर की परामर्श (काउंसलिंग) आयोजित कराये जाने का निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया जा सकेगा।

परामर्श (काउंसलिंग) के उपर्युक्त दौर के पश्चात् यदि स्थान रिक्त रहते हैं तो ऐसे स्थान, प्रवेश नियम 2008 (यथासंशोधित) तथा/अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित प्रक्रिया के अनुसार, काउंसलिंग सम्पादित की जावेगी।

2.10 प्रवेश का रद्द किया जानाः–

1 यदि किसी प्रक्रम पर यह पाया जाए कि अभ्यर्थी ने किसी संस्था में, मिथ्या या गलत जानकारी के आधार पर या सुसंगत तथ्यों को छिपाकर प्रवेश प्राप्त किया है या यदि प्रवेश के पश्चात् किसी भी समय यह पाया जाए कि अभ्यर्थी को किसी भूल या अनदेखी के कारण प्रवेश दिया गया था, तो ऐसे अभ्यर्थी को दिया गया प्रवेश उसके अध्ययन के दौरान किसी भी समय किसी पूर्व सूचना के बिना संस्था के प्राचार्य या सक्षम प्राधिकारी व्दारा तत्काल रद्द किए जाने के दायित्वाधीन होगा।

2 माननीय उचचतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के परिपालन में प्रवेश की अंतिम तिथि 14 अगस्त निर्धारित की गई है तथापि एआईसीटीई द्वारा शैक्षणिक सत्र 2024–25 के लिये जारी शैक्षणिक कैलेन्डर प्रभावशाली रहेगा।

3 **रद्दकरण के पश्चात स्थानों की स्थिति :–** प्रवेश के रद्दकरण के कारण या निर्धारित तारीख के भीतर (जैसा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित किया जाए) अभ्यर्थी द्वारा रिपोर्ट न करने के कारण उद्भूत होने वाले रिक्त स्थान, विद्यमान चरण की अपग्रेड प्रक्रिया में शामिल किया जायेगा (यदि लागू हो तो) या अगले चरण की काउंसिलिंग (यदि संचालित की जाती है) में आवंटन

के लिये उपलब्ध कराया जाएगा।

4 प्रवेश की अंतिम तिथि के पश्चात् प्रवेश रद्द करने संबंधी कार्यवाही केवल प्रवेशित संस्था द्वारा ही की जावेगी।

2.11 **शिक्षण तथा अन्य फीसः**– राज्य शासन द्वारा प्रचलित शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क प्रवेशित संस्था में जमा करने होगें।

2.12 अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु चयन संबंधी नीतियों के प्रश्नों पर तथा प्रवेश नियमों के अर्थ लगाने (Interpretation) संबंधी कोई प्रश्न उपस्थित होने पर निर्णय लेने में राज्य शासन अंतिम प्राधिकारी रहेगा तथा यह निर्णय अंतिम एंव बंधनकारी होगा।

2.13 मध्यप्रदेश राज्य शासन प्रवेश के किसी भी नियम/प्रक्रिया में किसी भी समय जनहित में आवश्यकतानुसार संशोधन करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है तथा इस तरह किया गया कोई भी संशोधन बंधनकारी होगा।

2.14 डिप्लोमा पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष (तृतीय सेमेस्टर) में प्रवेशित विद्यार्थियों को एक द्वितीय वर्ष (तृतीय सेमेस्टर एवं चतुर्थ सेमेस्टर) के विषयों के साथ–साथ रेमेडियल विषयों का अध्ययन भी करना होगा जोकि संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किया जावेगा।

2.15 **क्षेत्राधिकारः–** किसी विधि संबंधी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार **(Jurisdiction)** मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय तक ही सीमित रहेगा।

2.16 **पाठ्यक्रम संचालित करने के लिये शर्तः**– पाठ्यक्रम संचालित करने के लिय संकाय विशेष में स्वीकृत प्रवेश क्षमता का 1/3 प्रवेश होना अनिवार्य है, इसके अभाव में पाठ्यक्रम संचालित नहीं किया जा सकेगा।

प्रवेश नियम की प्रति वेबसाईट http//dte.mponline.gov.in पर उपलब्ध रहेगी।

तालिका-1

12वीं कक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को लेटरल एण्ट्री के माध्यम से डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए की विभिन्न ब्रांचों में प्रवेश के लिए आवश्यक विषय

Sr.No.	Major Disciplines	Equivalent Branches for Admission	Mandatory Courses at 10+2 Level	other relevant course (s) for the discipline
1	AERONAUTICAL ENGINEERING	Aircraft Maintenance Engineering	Phy, Chem, Maths	NA
2	AGRICULTURE ENGINEERING**	Agriculture Engineering	Phy, Chem OR Agriculture Stream	Maths/Biology/Biotechnology/ Agriculture/Agriculture stream
3	AGRICULTURE ENGINEERING**	Agricultural Engineering	Phy, Chem OR Agriculture Stream	Maths/Biology/Biotechnology/ Agriculture/Agriculture stream
4	CIVIL ENGINEERING	Civil Engineering	Phy, Chem, Maths	NA
5	CIVIL ENGINEERING	Cement Technology	Phy, Chem, Maths	NA
6	CIVIL ENGINEERING	Construction Technology and Management	Phy, Chem, Maths	NA
7	CHEMICAL ENGINEERING	Chemical Engineering	Phy, Chem, Maths	NA
8	CHEMICAL ENGINEERING	Plastic Technology	Phy, Chem, Maths	NA
9	CHEMICAL ENGINEERING	Refinery and Petrochemical Engineering	Phy, Chem, Maths	NA
10	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING	Computer Science and Engineering	Phy, Maths	For remaining single courses select any courses out of 14#
11	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING	Computer Science	Phy, Maths	For remaining single courses select any courses out of 14#
12	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING	Computer Hardware and Maintenance	Phy, Maths	For remaining single courses select any courses out of 14#
13	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING	Information Technology	Phy, Maths	For remaining single courses select any courses out of 14#
14	ELECTRICAL ENGINEERING	Electrical Engineering	Phy, Maths	For remaining single courses select any courses out of 14#
15	ELECTRICAL ENGINEERING	Electrical and Electronics Engineering	Phy, Maths	For remaining single courses select any courses out of 14#
16	ELECTRICAL ENGINEERING	Electrical and Mechanical Engineering	Phy, Maths	For remaining single courses select any courses out of 14#
17	ELECTRONICS ENGINEERING	Electronics Engineering	Phy, Maths	For remaining single courses select any

				courses out of 14#
18	ELECTRONICS ENGINEERING	Electronics and Communication	Phy, Maths	For remaining single courses select any courses out of 14#
19	ELECTRONICS ENGINEERING	IC Manufacturing	Phy, Maths	For remaining single courses select any courses out of 14#
20	ELECTRONICS ENGINEERING	Electronics and Telecommunication	Phy, Maths	For remaining single courses select any courses out of 14#
21	ELECTRONICS ENGINEERING	Electronics and Instrumentation	Phy, Maths	For remaining single courses select any courses out of 14#
22	ELECTRONICS ENGINEERING	Industrial Electronics	Phy, Maths	For remaining single courses select any courses out of 14#
23	ELECTRONICS ENGINEERING	Instrumentation Engineering	Phy, Maths	For remaining single courses select any courses out of 14#
24	ELECTRONICS ENGINEERING	Opto Electronics	Phy, Maths	For remaining single courses select any courses out of 14#
25	FASHION TECHNOLOGY	Fashion Technology	NIL	Select any courses out of 14# or any other main courses at 10+2 Level
26	FASHION TECHNOLOGY	Beauty Culture and Cosmetology	NIL	Select any courses out of 14# or any other main courses at 10+2 Level
27	FASHION TECHNOLOGY	Film Tech. & TV Prod. (Cinematography	NIL	Select any courses out of 14# or any other main courses at 10+2 Level
28	FASHION TECHNOLOGY	Modern Office Management	NIL	Select any courses out of 14# or any other main courses at 10+2 Level
29	FASHION TECHNOLOGY	Textile Design	NIL	Select any courses out of 14# or any other main courses at 10+2 Level
30	FASHION TECHNOLOGY	Travel and Tourism	NIL	Select any courses out of 14# or any other main courses at 10+2 Level
31	FOOD ENGINEERING	Food Technology	Chem	For remaining two courses select any courses out of 14#
32	FOOD ENGINEERING	Hotel Management of Catering Technology	Chem	For remaining two courses select any courses out of 14#
33	MECHANICAL ENGINEERING	Mechanical Engineering	Phy, Chem, Maths	NA
34	MECHANICAL ENGINEERING	Automobile Engineering	Phy, Chem, Maths	NA

35	MECHANICAL ENGINEERING	Manufacturing Engineering	Phy, Chem, Maths	NA
36	MECHANICAL ENGINEERING	Mechatronics	Phy, Chem, Maths	NA
37	MECHANICAL ENGINEERING	Production Engineering	Phy, Chem, Maths	NA
38	MECHANICAL ENGINEERING	Refrigeration and Air Conditioning	Phy, Chem, Maths	NA
39	MECHANICAL ENGINEERING	Textile Designing	Phy, Chem, Maths	NA
40	MINING ENGINEERING	Mining Engineering	Phy, Chem, Maths	NA
41	MINING ENGINEERING	Mine Surveying	Phy, Chem, Maths	NA
42	MINING ENGINEERING	Mining and Mine Surveying	Phy, Chem, Maths	NA
43	OPTHALMIC	Ophthalmic Technology	Phy	For remaining two courses select any courses out of 14#
44	PRINTING ENGINEERING	Printing Technology	Phy, Chem	For remaining single courses select any courses out of 14#
45	TEXTILE ENGINEERING	Textile Technology	Phy, Chem, Maths	NA

** First one or two Semesters may be so designed that student with Biology /Biotechnology/ background have adequate courses on maths and vice Versa and then the class is at level studying field for the rest of the semesters.

Physics/Mathematics/Chemistry/Computer Science/Electronics/ Information Technology/ Biology/Informatics Practices/Biotechnology/Technical Vocational subject/Agriculture/ Engineering Graphics/Business Studies/Entrepreneurship.

<u>प्रारूप-1</u>

अनुसूचित जाति/जनजाति प्रमाण-पत्र

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग.. जिला .... मध्यप्रदेश

पुस्तक क्रमांक.................... प्रकरण क्रमांक .... प्रमाण पत्र क्रमांक ....

स्थायी जाति प्रमाण पत्र

1 यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/ कुमारी .... पिता/ पति का नाम .... निवासी ग्राम/नगर .... वि.खं. .... तहसील .... जिला .... संभाग .... के .... जाति/ जनजाति का/ की सदस्य है और इस जाति/ जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह .... जाति/ जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम , 1976के अंतर्गत मध्यप्रदेश की सूची में अनुक्रमांक .... पर अंकित हैं। अतः श्री / श्रीमती/ कुमारी .... पिता/पति का नाम .... अनुसूचित जाति/जनजाति का/की है।

2 प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी .... के परिवार की कुल वार्षिक आय रूपए.. है।

दिनांक.....................

हस्ताक्षर

प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम

(सील) **पदनाम**

टिप्पणी

1 अनुसूचित जाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित जानजाति।

2 केवल निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा जारी किये गये प्रमाण-पत्र मान्य होंगे। (अ) कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर/एस.डी.ओ.(अनुविभागीय अधिकारी) उपसंभागीय मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट (ब) तहसीलदार (द) परियोजना प्रशासक/अधिकारीएवृहद/मध्यम/एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना।

यह प्रमाण पत्र उपरोक्त में से किसी भी एक अधिकारी द्वारा नियत जांच एवं आत्म संतुष्टि के पश्चात ही जारी किया जावे, न कि उम्मीदवार के अभिभावक द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर और न ही स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर।

***

प्रारूप-2

मध्यप्रदेश की अन्य पिछड़े वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी के आरक्षित स्थानों पर प्रवेश के लिये प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण-पत्र

स्थायी प्रमाण पत्र

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी

(प्रमाणीकरण)

अनुभाग................................ जिला .... मध्यप्रदेश

पुस्तक क्रमांक.................... प्रकरण क्रमांक .... प्रमाण पत्र क्रमांक ....

जाति प्रमाण-पत्र

1 यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.. पुत्र/पुत्री/श्री..निवासी/ग्राम/शहर.. .... तहसील...................................... जिला.................................मध्य प्रदेश के निवासी हैं, जो...जाति के हैं जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में मध्य प्रदेश शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 8-5 पच्चीस 4-84, दिनांक 26 दिसंबर, 1984, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 23-4-97-चैवन, दिनांक 2 अप्रैल, 1997 तथा इस संदर्भ में समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं द्वारा अधिमान्य किया गया है और सूची के क्रमांक.............. पर अंकित है।

श्री... और/या उनका परिवार सामान्यतः मध्प्रदेश के जिला .... संभाग.................................में निवास करता हैं

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री.................................... क्रीमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) व्यक्तियों/वर्गो की श्रेणी में नहीं आते है, जिसका उल्लेख भारत सरकार कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिशिष्ट क्र 380/2/22/93 स्था. (एस.सी.टी.) दिनांक 08.09.93 द्वारा जारी सूची के कालम 3-में तथा मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ -1/93/26-7 . आ.प्र,. दिनांक 8 मार्च 1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट “ई” की अनुसूची के कॉलम (3) में किया गया है।

2 प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन श्री/श्रीमती/कुमारी...के परिवार की कुल वार्षिक आय रूपये...हैं।

3 यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह मध्यप्रदेश राज्य में दिनांक.................................. को प्रवजन कर चुका है।

दिनांक ....

हस्ताक्षर

प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम

(सील) **पदनाम**

***

<u>**प्रारूप -6**</u>

स्थानीय निवासी संबंधी आवश्यकता हेतु प्रमाण-पत्र

कार्यालय नायब तहसीलदार/ तहसीलदार

टप्पा/तहसील .... जिला..................................

प्र.क्र .... वर्ष........................ दिनांक...........................

स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र

यहा आवेदक का पासपोट साईज का फोटो लगाया जाये जो प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायें

1 प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमति/ कु.. पिता/पति .... निवासी .... तहसील .... जिला .... (मध्यप्रदेश).राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश के स्थानीय निवास प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के लिये प्रभावशील ज्ञाप दिनांक .... में निर्धारित मापदण्ड की कण्डिका क्रमांक .... की पूर्ति करने फलस्वरूप मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी है।

2 प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक .... दिनांक .... के अधीन आवदेक द्वारा दिये विवरण अनुसार की पत्नी/अवयस्क बच्चे जिनका विवरण नीचे वर्णित है, मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी हैः-

टीपः- यह प्रमाण पत्र जाति निर्धारण के लिये जारी किये जाने वाले जाति प्रमाण पत्र की जांच में साक्ष्य हेतु विचारार्थ ग्राहय नही होगा।

(आवदेक द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र के आधार पर जारी)

ह.तहसील/नायब तहसीलदार

तहसील.......................................

जिला..

* लागू न होने पर काट दें।

* यह प्रमाण पत्र यदि डिजिटल हस्ताक्षर युक्त है तो उसे भी मान्य किया जावेंगा।

(मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक सी-3-7-2013-3-एक, दिनांक 25/09/2014 को जारी निर्देशानुसार स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र संबंधी स्थानीय निवासी हेतु स्व प्रमाणित घोषणा-पत्र)

<u>प्रारूप -6(अ)</u>

स्थानीय निवासी हेतु
स्व प्रमाणित घोषणा-पत्र
(अस्टाम्पित कागज पर)

फोटो
स्व प्रमाणित

मैं.............................. आत्मज/पति श्री................. आयु लगभग ....वर्ष शपथपूर्वक कथन करता/करती हूँ किः-

1 मैं वर्तमान में ....में निवासरत हूँ।

2 मेरी पत्नि का नाम श्रीमती.............................एवं उम्र लगभग .... वर्ष है।

3 मेरे अवयस्क पुत्र/पुत्री-

   1 श्री/कु... आयु (लगभग) .... वर्ष

   2 श्री/कु... आयु (लगभग) .... वर्ष

4 (यहाँ मध्यप्रदेश शासन के ज्ञापन क्रमांक सी-3-7-2013-3-एक, दिनांक 25 सितम्बर 2014 वर्णित निर्देश के अन्तर्गत आवेदक पात्रता की निम्न में से जिन-जिन श्रेणियों में आता है उनका विवरण अंकित करें)

   1 मै मध्यप्रदेश के मकान नम्बर..................मोहल्ला..................ग्राम............ तहसील .... जिला .... में वर्ष .... में पैदा हुआ/ हुई हूँ।

   2 मै मध्यप्रदेश में ग्राम/मोहल्ला .... शहर .... तहसील .... जिला .... में विगत 10 वर्ष से निरन्तर निवासरत हूँ।

   (आवेदक मध्यप्रदेश में कम से कम 10 वर्ष निरन्तर निवासरत हो। यदि 10 वर्ष की अवधि में एक से अधिक स्थानों पर निवासरत रहे तो कब से कब तक कहाँ-कहाँ निवासरत रहे इसका पूर्ण विवरण अंकित किया जाये)

   3 मैं राज्य शासन की सेवा में वर्तमान में पद का नाम .... कार्यालय का नाम ....विभाग का नाम .... के पद पर पदस्थ हूँ/से सेवानिवृत्त हुआ हूँ।

   4 मैं मध्यप्रदेश शासन के अन्तर्गत स्थापित .... नामक संस्था/निगम/मण्डल/आयोग में .... पद पर .... कार्यालय में सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारी हूँ।

   (कार्यरत/सेवानिवृत्त पद के नाम के साथ कार्यरत कार्यालय/जिस कार्यालय से सेवानिवृत्त हुए उसका पूर्ण विवरण दें।

***

5 मैं केन्द्र शासन के .... विभाग में .... के पद पर .... कार्यालय .... तहसील .... जिला........................ के पद पद 10 वर्ष से पदस्थ होकर कार्यरत हूँ।
(कार्यरत पद का नाम एवं कार्यालय का विवरण तथा पता)

6 मैं अखिल भारतीय सेवाओं के मध्यप्रदेश राज्य को आवंटित (आवंटन वर्ष ....बैंच) अधिकारी हूँ।......................पद पर...................... कार्यालय/ मंत्रालय.. में पदस्थ हूँ/से सेवानिवृत्त हुआ हूँ।
(कार्यरत/सेवानिवृत्त कार्यालय का पूर्ण विवरण कार्यरत पद का नाम)

7 मैं मध्यप्रदेश में संवैधानिक/विधिक...................................पद पर महामहिम राष्ट्रपति/महामहिम राज्यपाल द्वारा नियुक्त हूँ।
(पद,कार्यालय का पूर्ण विवरण दिया जाये)

8 मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ तथा मैंने मध्यप्रदेश में 5 वर्षों तक (अवधि.................) निवास किया है/अथवा मेरे परिजन मध्यप्रदेश में पहले से ही निवासरत हैं। (इसकी पुष्टि हेतु सैनिक कल्याण संचालनालय का प्रमाण-पत्र संलग्न करें)।

हस्ताक्षर

<u>सत्यापन</u>

मैं..............................आत्मज/पति/श्री................................ आयु........वर्ष........... निवासी .... सत्यापन करता/करती हूँ कि घोषणा-पत्र की कण्डिका 1/2/3/4/5/6/7/8 में उल्लेखित जानकारी मेरे निजी ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर सत्य है। इसमें न कोई सारवान तथ्य छुपाया गया है और न ही असत्य तथ्य अंकित किया गया है। मुझे यह ज्ञान है कि मेरे द्वारा असत्य या भ्रामक जानकारी देने पर मेरे विरुद्ध आपराधिक/दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकेगी। साथ ही मुझे प्राप्त समस्त लाभ भी वापिस लिये जायेंगे।

सत्यापन आज दिनांक ....वर्ष .... को स्थान.................................. में किया गया।

हस्ताक्षर

(जो लागू हो केवल उसी का उल्लेख घोषणा -पत्र में किया जाये)

***

(मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक सी-3-7-2013-3 एक, दिनांक 25.09.2014 को जारी निर्देशानुसार आय बाबत् स्व प्रमाणित घोषणा-पत्र)

प्रारूप -10

आय बाबत् स्व प्रमाणित घोषणा-पत्र
(सादे कागज पर)

मैं .... आत्मज श्री .... आयु ...... वर्ष शपथपूर्वक कथन करता/करती हूँ किः-

1 मैं वर्तमान में .... में निवासरत हूँ।

2 मेरी नाम से ग्राम......................... में हैक्टेयर/एकड़ कृषक भूमि है ,जिससे मुझे रुपये....................शब्दों में ....की वार्षिक आय होती है।

3 म...................................है, इससे मुझे वार्षिक आय रुपये.....................शब्दों में................... है।

4 गृह संपत्ति से मेरी वार्षिक आय रुपये........................... शब्दों में .... है।

5 मेरे परिवार निम्नानुसार सदस्य हैः-
1.................... 2.................. 3..................... 4...................... 5 ....
(परिवार से आशय पति/पत्नि/अवयस्क पुत्र/पुत्री/आश्रित माता या पिता से है)

6 मेरे परिवार के उक्त समस्त सदस्यों की कुल वार्षिक आय रुपये................... शब्दों में .... है।

7 मैंने इस शपथ-पत्र के पूर्व कोई आय प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किया है/शपथ-पत्र प्रस्तुत नहीं किया है।

अथवा

8 मैंने इस शपथ-पत्र के पूर्व लगभग .... समय पूर्व एक आय प्रमाण -पत्र/शपथ-पत्र राशि...रुपये वार्षिक का प्राप्त किया/दिया था। मेरी आय अब परिवर्तित हो गई है। अतः परिवर्तित आय राशि .... वार्षिक का आय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।
(बिन्दु क्रमांक 7 एवं 8 में जो लागू न हो उसे काट दें।)

हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं.............................आत्मज/पति श्री........................आयु......................वर्ष, निवासी ....सत्यापन करता/करती हूँ कि शपथ-पत्र की कण्डिका 1 से 8 तक में उल्लेखित जानकारी मेरे निजी ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर सत्य है। इसमें न कोई तथ्य छुपाया गया है और न ही असत्य तथ्य अंकित किया गया है। मुझे यह ज्ञान है कि मेरे द्वारा असत्य या भ्रामक जानकारी देने पर मेरे विरुद्ध आपराधिक/दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकेगी। साथ ही मुझे प्राप्त समस्त लाभ भी वापिस लिये जायेंगे। सत्यापन आज दिनांक ....वर्ष ...... को स्थान..................में किया गया।

हस्ताक्षर

***

प्रारूप–12

नियोक्ता का अनापत्ति/सेवा एवं अनुभव प्रमाण–पत्र

(वर्किंग प्रोफेशनल्स (working Professionals) के हेतु)
(नियोक्ता द्वारा भरा जावें)

क्रमांक..............   स्थान...............................   दिनांक....................

1 यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री .... *(आवेदक का नाम)* आत्मज श्री ....को .... *(पोलीटेकनिक महाविद्यालय का पूरा नाम)* के तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष में वर्किंग प्रोफेशनल्स **(working Professionals)** के लिये उपलब्ध सीट पर प्रवेश मिलने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

2 श्री .... (आवेदक का नाम) इस विभाग/सगंठन/प्रतिष्ठान/संस्थान (जिसका पूरा नाम) .... एवं पता .... नगर .... में स्थित है जिसकी .... *(पोलीटेकनिक महाविद्यालय का पूरा नाम)* से दूरी 50 के दायरे में है।

3 श्री .... (आवेदक का नाम) इस विभाग/सगंठन/प्रतिष्ठान/संस्थान मैं पूर्णकालीन तथा नियमित सेवा में .... के पद पर दिनांक ..../....../.............. से दिनांक ..../......./................. तक सतत् कार्यरत हैं/था। इनका मूल वेतन रूपये ....महंगाई भत्ता रू.................... अन्य भत्ते रु. .... हैं, इस तरह कुल परिलब्धि रू. .... हैं। इनका नामांकन कर्मचारी भविष्य निधि खातें में दर्ज है। जिसका खाता क्रमांक सी.पी.एफ/डी.पी.एफ/जी.पी.एफ क्रमांक ....है।

4 यह विभाग/सगंठन/प्रतिष्ठान/संस्थान .... के अतंर्गत पंजीकृत/लायसेंस प्राप्त हैं तथा वर्तमान पंजीयन क्रमांक/लायसेंस क्रमांक .... है। *(पंजीयन की प्रति संलग्न है)*

नियोक्ता के हस्ताक्षर (   )
नाम ....
पद ....
नियोक्ता की सील   दूरभाष क्रमांक ....